न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 59/2005

1. निरजनकौर बेवा बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी 3 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर मृतक

   1/1 कुलदीपसिंह
   1/2 इन्द्रजीतसिंह
   1/3 निर्मलकौर
   1/4 सुखपालकौर
   1/5 रिछपालकौर

   } पिसरान बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासीगण 3 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2. कुलदीपसिंह
3. इन्द्रजीतसिंह

   } पिसरान बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासीगण 3 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुखपालसिंह
2. कर्मजीतसिंह

   } पिसरान महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासीगण 3 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

3. राजस्थान सरकार ।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर कैम्प पदमपुर दिनांक 06.08.2005

उपस्थित—
श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुरेश अरोड़ा अभिभाषक रेस्पो.
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. सं. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर कैम्प पदमपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 91 का पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम चक 3 सी.सी के मु.न. 54 के कि.नं. 1 से 25 की 25 बीघा संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें कुलदीपसिंह का 1/6 हिस्सा,

20/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुखपालसिंह, कर्मजीतसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, निरजनकौर, कुलदीपसिंह, इन्द्रजीत हर तीन ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा, महेन्द्रसिंह 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 16 बीबी के मु.न. 50 की 7.10 बीघा, 51 की 25 बीघा कुल 32.10बीघा में कुलदीपसिंह, इन्द्रजीतसिंह, निरंजनकौर 1/2 हिस्सा ब.हि.ब., महेन्द्रसिंह 1/4 हिस्सा, सुखपालसिंह, कर्मजीतसिंह ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा खातेदारी है। वादीगण उक्त दोनों चकों की संयुक्त खाता की भूमि में से अपने हिस्सा की आराजी तकसीम करवाकर अलग से काश्त करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त खाता की भूमि में से कुछ आराजी किसी अन्य को विक्रय करना चाहते है। संयुक्त खाता की भूमि का बेचान करने का कोई हक प्रतिवादीगण को नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वे इन्कार हो गये । यही वादकरण पैदा हुआ । अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 ने जबाव दावा पेश कर वाद में चाही गई इस्तुआ देने हेतु अपनी सहमति दी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जबाव दावा पेश कर दावा खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम पेश कर काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अधी.न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 06.08.2005 को वादीगण का वाद स्वीकार कर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये गये उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी बंटवारा हो चुका है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण ने अधी.न्यायालय में काउन्टर क्लेम पेश किया था उसके आधार पर अधी.न्यायालय को वाद का निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वाद का निर्णय काउन्टर क्लेम के आधार पर किया जावे।

20/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि संयुक्त खाता की है एवं विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिस पर वादीगण ने अधी. न्यायालय में वाद पेश किया। अधी.न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की एवं उन पर साक्ष्य संग्रहित कर वाद स्वीकार कर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाये गये है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2005 के विरूद्ध पेश की है। रेस्पों. का दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 91 प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर फाईनल डिक्री के लिए बंटवारा प्रस्ताव मंगवाए है, जबकि विवादित भूमि का पूर्व में बंटवारानामा दिनांक 05.09.1969 द्वारा बंटवारा हो चुका है। अतः पुनः बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड खतौनी संख्या 15/15 संम्वत् 2049 की जमाबंदी अनुसार सहखातेदार दर्ज है जिसमें कुलदीपसिंह पुत्र बलवीरसिंह 1/6 हिस्सा, सुखपालसिंह, कर्मजीतसिंह पि. महेन्द्रसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, निंरजनकौर बेवा बलवीरसिंह, कुलदीपसिंह, इन्द्रजीतसिंह पि. बलवीरसिंह हर तीन ब.हि.ब 1/3 हिस्सा, महेन्द्रसिंह पुत्र वतनसिंह 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा इसी प्रकार चक 16 बीबी की खतौनी सं. 10/34 सम्वत् 2052 में मु.नं. 50 की 7.10 बीघा, कि.नं. 5/2 की 10 बिस्वा, 6 सालम, 14 से 17 सालम, 24, 25 सालम व मु.न. 51 के कि.न. 1 से 25 की 25 बीघा कुल 32.10 बीघा में कुलदीपसिंह, इन्द्रजीतसिंह पि. वतनसिंह (जो सहवन से गलत दर्ज है वास्तव में पि.बलवीरसिंह है), निंरजनकौर बेवा बलवीरसिंह 1/2 हिस्सा ब.हि.ब., महेन्द्रसिंह पुत्र वतनसिंह 1/4 हिस्सा, सुखपालसिंह, कर्मजीतसिंह पि. महेन्द्रसिंह ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसका विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के

20/2/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रावधानुसार किया जाना है जिसकी Bare-reading है कि जोत का विभाजन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा :–

(i) सह अभिधारियों के बीच (क) जोत के ऐसे विभाजन, और (ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जो उक्त प्रकार से विभाजित की जाये पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा, या

(ii) एक या अधिक सह–अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगाने के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

अधिनियम की धारा 53 की कियान्वति हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तक के आज्ञापक प्रावधान बने है जिसकी Bare-reading है कि नियम 18– जोत के विभाजन के लिए करार फाईल करना:– एक जोत के विभाजन तथा लगाने के वितरण का सहअभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तहसीलदार उस करार की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुसार जोत के विभाजन को प्रभावी(लागू) करेगा।

नियम 19– करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन:– यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सह–अभिधारी किसी करार(समझौते) पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्रीत किया जाएगा।

नियम 20– नियम 19 में उपबंधित को छोडकर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गए वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जावेगा:–

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से (शेयर) से आनुपातिक होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथा सम्भव एक साथ (compact) होगा।

20/2/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(ग) जहां तक सम्भव हो किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उतम कोटि की भूमि नहीं दी जाएगी।

(घ) जहां तक सम्भव है विद्यमान खेतों के टुकडे नहीं किये जाएगें।

(ड.) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथा सम्भव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जाएगा, यदि वह उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

नियम 21–नक्शा बनाना और उप विभाजित खेतों का अंकन (चिन्हित करना):– तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों में दिखाया जावेगा। और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

प्रकरण हाजा की विवादित भूमि में सभी सहखातेदारान का हिस्सा निर्धारित है जो चक 3 सीसी के खाता संख्या 15/15 मु.न. 54 के कि.न. 1 से 25 कुल 25 बीघा भूमि में रेस्पो. का 1/6 हिस्सा predecided है जिसका नियम 20 व 21 के प्रावधानुसार बंटवारा किया जाना निर्देशित है जिसमें सहखातेदारान को अपने हिस्से अनुसार जहां तक संभव हो प्रत्येक खातेदार को as compact as possible के अलावा अच्छी से अच्छी व कमजोर से कमजोर भूमि दी जानी चाहिए। इस प्रावधानों की पालना के लिए नियम 21 के आज्ञापक प्रावधानुसार प्राथमिक डिक्री जारी होकर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाना विधि सम्मत है।

इसी अनुरूप तनकियात कायम होकर अधी.न्यायालय द्वारा साक्ष्य संग्रहित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये है जिसमें कोई विधिक नुक्स नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर